भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1626

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और अमृत योजना के अंतर्गत शहरी अवसंरचना परियोजनाएं

1626. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

श्री बैत्री बेहननः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और 'अमृत' योजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और नवम्बर, 2024 तक पूरी हो चुकी और लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) इन चुनौतियों का समाधान करने और शहरी अवसंरचना पहलों को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार शहरी विकास में सततता संबंधी सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत, 1,64,669 करोड़ रुपये की लागत वाली 8,066 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 100 स्मार्ट सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1,47,366 करोड़ रुपये की लागत वाली 7,352 परियोजनाएं (अर्थात कुल परियोजनाओं का 91%) पूरी हो चुकी हैं। शेष 17,303 करोड़ रुपये की लागत वाली 714 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में हैं।

इसी प्रकार, अमृत के संबंध में, 83,374.39 करोड़ रूपए की लागत की कुल 5,995 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 5,417 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 78,404 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

(ख): स्मार्ट शहरों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से समान शेयर अंशदान का समय पर जारी न होना, नए और विविध कार्य-क्षेत्र, शहरों को एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी), इनक्यूबेशन केंद्र, साइकिल शेयरिंग योजनाएं, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, रिवरफ्रंट विकास आदि के निर्माण का कोई अनुभव नहीं होना, सभी नगर निगम विभागों और एजेंसियों के एकीकरण के साथ आईसीसीसी की पूरी क्षमता का उपयोग तथा डीपीआर तैयार करने और कार्यान्वयन चरण के दौरान सार्वजनिक परामर्श का अभाव शामिल हैं।

इसी तरह, अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में आने वाली चुनौतियों के विभिन्न कारण हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण के मामले, जलवायु संबंधी चुनौतियां, अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में देरी और जटिल शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुभवी और तकनीकी रूप से कुशल ठेकेदारों की कमी आदि।

(ग) और (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के पास एससीएम के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) बोर्डों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 100 स्मार्ट शहरों/यूएलबी के प्रदर्शन का आकलन करने और जहां भी आवश्यक हो, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन आदि के माध्यम से राज्यों / स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से परस्पर वार्ता करता है।

एससीएम के अंतर्गत, इसकी 8,066 बहुक्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से स्थिरता सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है। तदनुसार, परियोजना की शुरुआत से ही शहरों में स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान की गई, जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रकचर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न नागरिक सहभागिता के तरीकों का उपयोग किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जल स्वच्छता और सफाई (वाश), स्मार्ट मोबिलिटी (गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी), सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग (पीबीएस)), स्मार्ट ऊर्जा, जीवंत सार्वजनिक स्थान, आर्थिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रकचर (इन्क्यूबेशन और कौशल केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी), पर्यावरण सुधार (एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) और अपने नागरिकों को डेटा-संचालित शासन और अंतिम चरण तक सेवा प्रदायगी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके शहरी सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) शामिल हैं।

शहरों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के अतिरिक्त, एससीएम ने नागरिक सहभागिता के साथ विकास की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज (आईसी4सी) चैलेंज, स्ट्रीट्स4पीपल चैलेंज, प्लेसमेकिंग मैरेथन, ट्रांसपोर्ट4ऑल (टी4ए) चैलेंज, ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (ट्यूलिप), क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) चैलेंज, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज अलायंस, डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (डीएमएएफ) और आईसीसीसी मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (आईएमएएफ) शामिल हैं।

अमृत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए अमृत और अमृत 2.0 पोर्टल हैं। मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति समय-समय पर अमृत मिशन की समीक्षा, निगरानी और निरीक्षण करती है। राज्यों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) की स्थापना का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है।

****